उत्तर प्रदेश शासन

चीनी उद्योग अनुभाग-1

संख्या-12/2019/315/46-1-2019-1000(42)/2007

लखनऊ: दिनांक 09 मार्च, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

श्री लाल बहादुर शास्त्री, गन्ना किसान संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के मेमोरेन्डम आफ एसोसिएशन एण्ड एमेन्डमेन्ड रूल्स आफ एसोसिएशन की धारा-41(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **श्री नीरज शाही** पुत्र श्री बीरेन्द्र बीर बहादुर शाही, ग्राम व पोस्ट, पिपरा चन्द्रभान, जिला-देवरिया को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम 02 वर्ष अथवा अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले घटित हो, श्री लाल बहादुर शास्त्री, गन्ना किसान संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की शासी निकाय में उपाध्यक्ष नामित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-12/2019/315(1)/46-1-2019-1000(42)/2007, दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2- श्री नीरज शाही पुत्र श्री बीरेन्द्र बीर बहादुर शाही, **ग्राम व पोस्ट, पिपरा चन्द्रभान, जिला-देवरिया।**
3- महामहिम श्री राज्यपाल, उ.प्र. के निजी सचिव।
4- प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी, उ.प्र. शासन।
5- समस्त मा. मंत्रियों/मा. राज्य मंत्रियों के निजी सचिव।
6- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
7- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन।
8- समस्त विभागाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ.प्र.।
9- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ.प्र. शासन।
10- सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ.प्र. शासन।
11- प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ.प्र. शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

12- सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, उ.प्र. शासन।

13- गन्ना आयुक्त, उ.प्र. लखनऊ।

14- निदेशक, श्री लाल बहादुर शास्त्री, गन्ना किसान संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

15- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ.प्र. शासन।

16- गोपन अनुभाग-1/इरला चेक अनुभाग।

17- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

18- गार्ड-फाईल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है